न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 30/2017 जिला दौसा।

1. सीताराम पुत्र रामधन
2. श्रीकिशन पुत्र रामधन
3. रामजीलाल पुत्र रामधन
4. मु0 ग्यारसी बैवा रामधन
5. मु0 झुमा पुत्री रामधन
6. मु0 लोहडसी पुत्री रामधन
7. मु0 तोफा पुत्री रामधन
8. रामकिशोर पुत्र गेंदाराम
9. मु0 रामप्यारी पत्नि गेंदाराम
10. मु0 केसर पुत्री गेंदाराम
11. मु0 राजन्ती पुत्री गेंदाराम
12. मनभर पुत्री गेंदाराम
13. मु0 गुलाब पुत्री गेंदाराम

जाति मीना निवासी नांगल राजावतान जिला दौसा।

अपीलान्टस्

बनाम

1. मु0 पारा देवी पुत्री लोहडया पत्नि लालूराम जाति मीना निवासी ग्राम टीटोली हाल निवासी बिदरखा तहसील नांगल राजावतान।
2. मु0 जगनीथी पत्नि शंभू
3. भरतलाल पुत्र शम्भू
4. गब्दूराम पुत्र शम्भू
5. अन्जू पुत्री शम्भू
6. भूरा पुत्री शम्भू
7. काली पुत्री शम्भू
8. रामकेश पुत्र महादेव
9. कालूराम पुत्र महादेव

   जाति मीना निवासी नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
10. यूको बैंक शाखा लाहडीकाबास तहसील नांगल राजावतान जरिये शाखा प्रबंधक।
11. ग्राम पंचायत नांगल राजावतान तहसील नांगल राजावतान।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 15.05.2017 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील 01/2017

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलान्ट श्री उमेश गौड।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 श्री जय शर्मा।
3. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 से 9 श्री रोहिताश मीना।

निर्णय

दिनांक–05.10.2021

1. यह द्वितीय अपील उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.05.2017 के खिलाफ दिनांक 11.07.2017 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा शीर्षक अपील संख्या 01/2017 उनवान पारा देवी बनाम ग्यारसी में पारित निर्णय दिनांक 15.5.2017 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 29.8.1998

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

ग्राम नांगल राजावतान निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर, विधिसम्मत आदेश पारित करे।

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2017 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटस् 2, 3, 10, 11 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम नांगल राजावतान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 505 लगायत 507, 541, 554, 555, 559, 566, 567, 575, 980, 984 कुल किता 12 कुल रकबा 3.82 है0 जो लोहडिया पुत्र श्योला जाति मीना निवासी नांगल राजावतान की खातेदारी की भूमि थी उक्त कृषि भूमियो के उत्तराधिकार का नामान्तकरण संख्या 100 ग्राम पंचायत नांगल राजावतान द्वारा लोहडिया के पुत्रगण स्व0 रामधन, गेंदा, महादेव व शम्भू के नाम दिनांक 29.8.1998 को तस्दीक किया गया था। लोहडिया की मृत्यु के बाद उसके पुत्रगण के नाम नामान्तकरण भरा गया तथा ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण तस्दीक किया। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में खातेदारी विगत 18 वर्षो से अंकित चली आ रही है। सह खातेदार भूमि को हिस्सा 1/4, 1/4 के रूप में विभाजित कर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 29.8.1998 की अपील 18 वर्ष के असाधारण विलम्ब के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। नामान्तकरण कार्यवाही फिसकल कार्यवाही होती है जिसका उददेश्य आराजी के लगान आदयगी के लिये होता है। नामान्तकरण कार्यवाही में किसी प्रकार के हक अधिकांर निर्णित नही होते है। पक्षकारान नामान्तकरण मीना (अ0ज0जा0) के सदस्य है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। मीना जाति में पुत्र उत्तराधिकारीगण की उपस्थिति में महिला (पुत्रियो) को उत्तराधिकार प्राप्त नही होता है। नामान्तकरण तस्दीक फरमाने में ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित नही की गई किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिकार मानकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार को प्रेति प्रेषित कर वाद बाहुल्यता को प्रश्रय दिया हैं प्रकरण में 18 वर्षो बाद उत्तराधिकारीगण की जांच करवाये जाने का कोई औचित्य या आवश्यकता माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आर.बी.जे. 1998 पर प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार नही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपील मीमो में चरण संख्या 1 में मृतक लोहडिया के उत्तराधिकारीगण की वंशावली अंकित की है तदनुसार मु0 गोविन्दी, मु0 नारायणी 0 मु0 लाडा (फोत) अंकित है। उक्त पुत्रीया स्व0 लोहडिया को या उनके उत्तराधिकारीगण को अपील में पक्षकार नही बनाया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 के यदि कोई हक अधिकार थे या है जो उसे सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने अधिकार को विनिश्च करवाने का अधिकार हो सकता है। दिनांक 10.5.2017 से न्याय आपके द्वार योजना के रूप में पंचायत मुख्यालयो पर राजस्व शिविर आयोजित होना शुरू हो गया। प्रकरण में अग्रिम तारीख पैशी फरमा दी गई। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की पत्रावली को दिनांक 15.5.2017 को नांगल कैम्प कोर्ट पर रखकर बिना सूचना व सुनवाई अपीलांट अपील का एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 15.5.2017 विधि प्रकिया, नियम तथ्य एवं न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2017 को निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2012(1) RRT 431, 2012(1) RRT 705, 2014(2) RRT 901, 1998 RBJ(5) 456 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है।
6. रेस्पोडेंटस् संख्या 1, 4 से 9 के योग्य अधिवक्ताओ ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

राजावतान जिला दौसा द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 29.08.1998 ग्राम नांगल राजावतान के संबंध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2017 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे। विद्वान अधिवक्ताओ द्वारा अपनी बहस के समर्थन में राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 29.01.2014 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार लोहडिया पुत्र श्योला जाति मीना निवासी नांगल राजावतान की विरासत के नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 29.8.1998 ग्राम नांगल राजावतान के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट् संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के समक्ष अपील पेश कर कथन किया गया कि ग्राम नांगल राजावतान में स्थित आराजी खसरा नम्बर 505 लगायत 507, 541, 554, 555, 559, 566, 567, 575, 980, 984 कुल किता 12 कुल रकबा 3.82 है0 की खातेदारी अपीलांट के पिता लोहडिया पुत्र श्योला जाति मीना के नाम दर्ज थी। लोहडिया पुत्र श्योला का देहान्त होने के पश्चात उसके उत्तराधिकारियो अपीलांट व अपीलांट की बहन गोविन्दी, नारायणी, लाडा तथा अपीलांट के भाई रामधन, गेंदा, महादेव, शम्भू है। अपीलांट (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 01) एवं उसकी बहने लोहडिया पुत्र श्योला के वारिस होने के बावजूद भी बिना हमे सुनवाई व सबूत का अवसर दिये पटवारी हल्का ने लोहडिया पुत्र श्योला की विरासत का नामान्तकरण मात्र अपीलांट के भाई रामधन गेंदा महादेव शम्भू के हक में ही भरकर और ग्राम पंचायत नांगल राजावतान ने बिना वारिसान की जांच किये नामान्तकरण संख्या 100 ग्राम नांगल राजावतान तस्दीक कर दिया गया। जिसे निरस्त कर लोहडिया पुत्र श्योला की विरासत का नामान्तकरण उसके समस्त वारिसान के नाम भरकर तस्दीक करने का आदेश किये जाने की प्रार्थना की गई। अपीलांट्स (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1) द्वारा प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 29.08.1998 ग्राम नांगल राजावतान निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर, विधिसम्मत आदेश पारित करे।

8. हम समझते हैं कि अपीलांट् (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.02.2017 को अपील पेश की गई थी जिसमें प्रथम आदेशिका दिनांक 27.02.2017 को अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटस को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये हैं। दिनांक 12.04.2017 की आदेशिका के अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 13 की ओर से श्री उमेश गोड एड0 उप. होना अंकित करते हुये शेष रेस्पोडेंट का सम्मन तलबाना पेश होने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 02.05.2017 को नियत की गई। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 15.05.2017 को सीधे ही राजस्व लोक अदालत कैम्प में ली जाकर रेस्पोडेंटस (वर्तमान अपीलांटस) को बिना सुने एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 29.08.1998 ग्राम नांगल राजावतान के गुणावगुण पर कोई विवेचन नही किया गया है। अपीलान्ट्स प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 100 दिनांक 29.08.1998 ग्राम नांगल राजावतान से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करना चाहिये था। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एकतरफा तथा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित समस्त आवश्यक पक्षकारो की सुनवाई कर, समुचित साक्ष्य लिये जाकर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

5/10/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/10/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner